

प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,  
पंचकूला ।

सेवा में,

निदेशक लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा,  
चण्डीगढ़ ।

यादि क्रमांक वि.स.-I-17/  
पंचकूला, दिनांक

969  
21-7-17

विषय:-

वर्ष 2017-18 के अधिसूचित पानियों की ई- निलामी सम्बन्धित विज्ञापन । (दिनांक 24-7-2017)

उपरोक्त विषय पर आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2017-18 में हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा झरनों में मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-निलामी सम्बन्धित नोटिस (हिन्दी/अंग्रेजी) भाषा की दस-दस प्रतियां कम्प्यूटर द्वारा टाईप करवा कर आपको भेजी जाती है। कृपया इस ई-निलामी सम्बन्धित विज्ञापन को किसी एक हिन्दी तथा किसी एक अंग्रेजी भाषा के हरियाणा तथा दिल्ली में प्रचलित समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की कृपा करें ताकि ई-निलामी संबंधी प्रचार अधिक से अधिक हो सके । कृपया यह विज्ञापन दिनांक 24-7-2017 के समाचार पत्रों में पृ 1,3 व अन्तिम को छोड़कर प्रकाशित करवाने की कृपा करें ।

संलग्न:-ई-निलामी नोटिस हिन्दी तथा अंग्रेजी  
भाषा की दस-दस प्रतियां ।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,  
पंचकूला ।

पृ 0 क्रमांक वि0स0-I-2017/ 970

पंचकूला, दिनांक 21-7-17

इसकी एक प्रति ई-निलामी नोटिस की हिन्दी व अंग्रेजी की एक-एक प्रति सहित Managing Director, Hartron, Sector 17, Chandigarh को भेजते हुए अनुरोध है कि ई-निलामी नोटिस को इस विभाग की वेबसाईट [www.harfish.gov.in](http://www.harfish.gov.in) पर डालने का कष्ट करें ।

संलग्न:- उपरोक्त ।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,

पंचकूला ।

## FISHERIES DEPARTMENT HARYANA

### e- auction Notice

It is for information to General Public that e- auction of Fishing Rights of notified waters, rivers, canals and drains of the districts Karnal and Panipat of Haryana State for the year 2017-18 (01-09-2017 to 31-08-2018) shall be put to open public e- auction on 31-07-2017 from 9:00 AM to 12:00 Noon online at the e-Procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in>

Before start of the e- auction the interested bidders shall have to deposit earnest money as shown against each District/Districts and Rs. 1000/- as non refundable e- service fee online to take part in the e- auction by 28-07-2017 till 4:00 PM. The successful bidders will have to deposit online through RTGS/NEFT the full amount of contract or 1/3<sup>rd</sup> of auction amount and 5% of the contract amount as security in the bank account of the concerned District Fisheries Officers, as per bank account details given, on the same day of e- auction and the remaining amount within 30 days from the date of the e- auction. In case of failure to the deposit of the remaining 2/3<sup>rd</sup> amount by the bidder within the stipulated period of 30 days, the 1/3<sup>rd</sup> amount deposited by the bidder at the time of e- auction and 5% of the contract amount as security and earnest money shall be forfeited.

Others terms and conditions can be seen at the e-Procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in> and Haryana Fisheries Departmental website [www.harfish.gov.in](http://www.harfish.gov.in) and details can also be procured from the office of the District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, FFDA's of the district or Deputy Director Fisheries at Division level or Director Fisheries Haryana, Panchkula.

For any support regarding e- auction M/s Nextenders Pvt. Ltd., Chandigarh can be contacted at Phone No. 1800-180-2097,0172-2582008-2009.

Sd/

Director Fisheries Department Haryana,  
Bays. No. 31-32, Sector 4,  
Panchkula.

मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा

ई- निलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य के जिलों करनाल तथा पानीपत के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा झरनों में वर्ष 2017-18 (1-9-2017 से 31-8-2018 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-निलामी दिनांक 31-07-2017 को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक Online e-Procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in> पर की जायेगी।

इच्छुक बोलीदाता को जिले के सामने दर्शाई गई धरोहर राशि व 1000रुपये धनराशि बतौर e- service fee (Non Refundable), ई-निलामी शुरू होने से पूर्व दिनांक 28.07.2017 को सायं 4:00 बजे तक Online जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोली दाताओं की बोली की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर Online सम्बन्धित के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी। जिस बोलीदाता की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूरी धनराशि अथवा ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग के बराबर धनराशि तथा ठेके की कुल धनराशि का 5% भाग के बराबर सिक्योरिटी उसी दिन (ई-निलामी के दिन) RTGS/NEFT के माध्यम से दिए गए विवरणानुसार सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी तथा 2/3 हिस्से की धनराशि ई- निलामी की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर-2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि, धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।

ई- निलामी की शर्तें व अन्य विवरण Online e-Procurement portal <https://haryanaeprocurement.gov.in> तथा विभागिय website [www.harfish.gov.in](http://www.harfish.gov.in) पर देखी जा सकती हैं तथा किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित जिला में जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी/मण्डल के उप-निदेशक मत्स्य या निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

ऑनलाइन ई- निलामी से सम्बन्धित जानकारी के लिए आप M/s Nextenders Pvt. Ltd., Chandigarh के दूरभाष नं० 1800-180-2097 तथा 0172-2582008-2009 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता:  
निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,  
बेज न० 31-32, सैक्टर-4,  
पंचकूला।